संख्या--वे0आ0–2–288 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :—

(1) लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय।

(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक वेतनमान रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के पदों पर आने के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाय।

(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(4) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के पदों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों में समायोजित कर दिये जायें।

(5) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(6) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों को राजपत्रित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाय।

(7) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) अनुमन्य कराया जाय। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत पदों पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता के साथ सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदों पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(8) उप निदेशक वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– के 04 पदों में से एक पद को संयुक्त निदेशक वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– में उच्चीकृत किया जाय। तदनुसार विभाग में संयुक्त निदेशक के 02 पद उपलब्ध हो जायेंगे।

(9) सहायक निदेशक वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– के 44 पदों में से 16 पदों को उप निदेशक पदनाम से वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– में उच्चीकृत किया जाय। तदनुसार उप निदेशक के 19 पद उपलब्ध हो जायेंगे। प्रधानाचार्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– उपलब्ध 01 पद में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रत्येक मण्डल हेतु उप निदेशक का 01 पद उपलब्ध हो जायेगा।

(10) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– (संस्तुति संख्या–7 के अनुसार वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–में उच्चीकृत) के 65 पदों तथा सहायक निदेशक वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– के शेष 28 पदों का सम्मिलित संवर्ग बनाया जाय। उक्तानुसार गठित संवर्ग में उपलब्ध 93 पदों को सहायक निदेशक तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों में चिन्हांकन कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा किया जाय। उक्त संवर्ग के कार्मिकों को तैनाती के स्थान/निर्वहन किये जाने वाले दायित्वों के आधार पर सहायक निदेशक अथवा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कहा जाये।

(11) पूर्व उप प्रस्तर–10 के अनुसार गठित संवर्ग के 50 प्रतिशत पदों पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों पर वाणिज्य स्नातक उपाधि की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाये। साथ ही इस

(12) संस्तुति संख्या–14 में इंगित अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग तथा उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा सेवा संवर्ग के पदों का ढ़ॉचे (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) का स्वरूप निम्नानुसार होगा :––

क0 सं0	पदनाम/ पदों की संख्या	वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) (रू0 में)	भर्ती का श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	निदेशक/01	16400–20000 (वेतन बैण्ड–4 एवं 8900)	वर्तमान में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार।
2.	संयुक्त निदेशक/02	12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 एवं 7600)	उप निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा।
3.	उप निदेशक/ 19 प्रधानाचार्य/01	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं 6600)	सहायक निदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा।
4.	सहायक निदेशक/ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/93 वरिष्ठ प्रवक्ता/ 02	8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं 5400)	50 प्रतिशत पद सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा। 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
5.	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ 67	7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 4800)	वरिष्ठ लेखा परीक्षक से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
6.	*वरिष्ठ लेखा परीक्षक/524	5500–9000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 4200)	03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा।
7.	*लेखा परीक्षक/ 128	4500–7000 (वेतन बैण्ड–1 एवं 2800)	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा।

* लेखा परीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जायेगी।

(13) समिति ने वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अध्याय में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के अन्तर्गत स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान के साथ समायोजित करने की संस्तुति की गयी है। उक्त व्यवस्था के उपरान्त स्थानीय निधि लेखा परीक्षा में सृजित प्रधानाचार्य ग्रेड वेतन रू0 6600/– तथा वरिष्ठ प्रवक्ता ग्रेड वेतन रू0 5400/– के पद स्थानीय निधि लेखा संवर्ग में ही बने रहेंगे और पदधारकों की तैनाती उक्तानुसार स्थापित प्रशिक्षण संस्थान में की जायेगी।

(14) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अधीन इलाहाबाद में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान को वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा

नगर, लखनऊ में समाहित किया जाय।

(15) विभिन्न विभागों में उपलब्ध सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध 26 संवर्गों/पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियॉ पत्र संख्या–वे0स0–48/दस–10, दिनांक 22 जनवरी, 2010 तथा नवम् प्रतिवेदन भाग–1/2 में दी जा चुकी है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय के अधिकतर पद सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध संवर्ग/पदों से सम्बन्धित है। अतः स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय में उपलब्ध उक्त श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में यहॉ संस्तुति देने का अवसर नहीं रह गया है।

(16) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय के अन्य किसी पद पर कोई विसंगति समिति के संज्ञान में नहीं है।

(17) समिति की निम्न संस्तुति को सुझाव के रूप में स्वीकार किया जाय :–– विभाग में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गम्भीर शिकायतों एवं गबन को संज्ञान में लेते हुए, पूर्व से निर्धारित टूर प्रोग्राम में किये जाने वाले लेखा परीक्षा के साथ उक्त गम्भीर शिकायतों एवं गबन की जॉच भी की जाय। साथ ही सम्बन्धित अवधि की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उक्त जॉच से सम्बन्धित रिपोर्ट को भी उसमें शामिल किया जाय।

2– कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु पूर्व प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–17 में सुझाव के रूप में स्वीकार की गयी संस्तुति के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें। पूर्व प्रस्तर–1 के शेष निर्णयों के क्रम में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–288 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,